LOK SATYA N.D 24/11/18

अपोलो टायर्स पर सेबी ने लगाया 65 लाख रुपए का जुर्माना

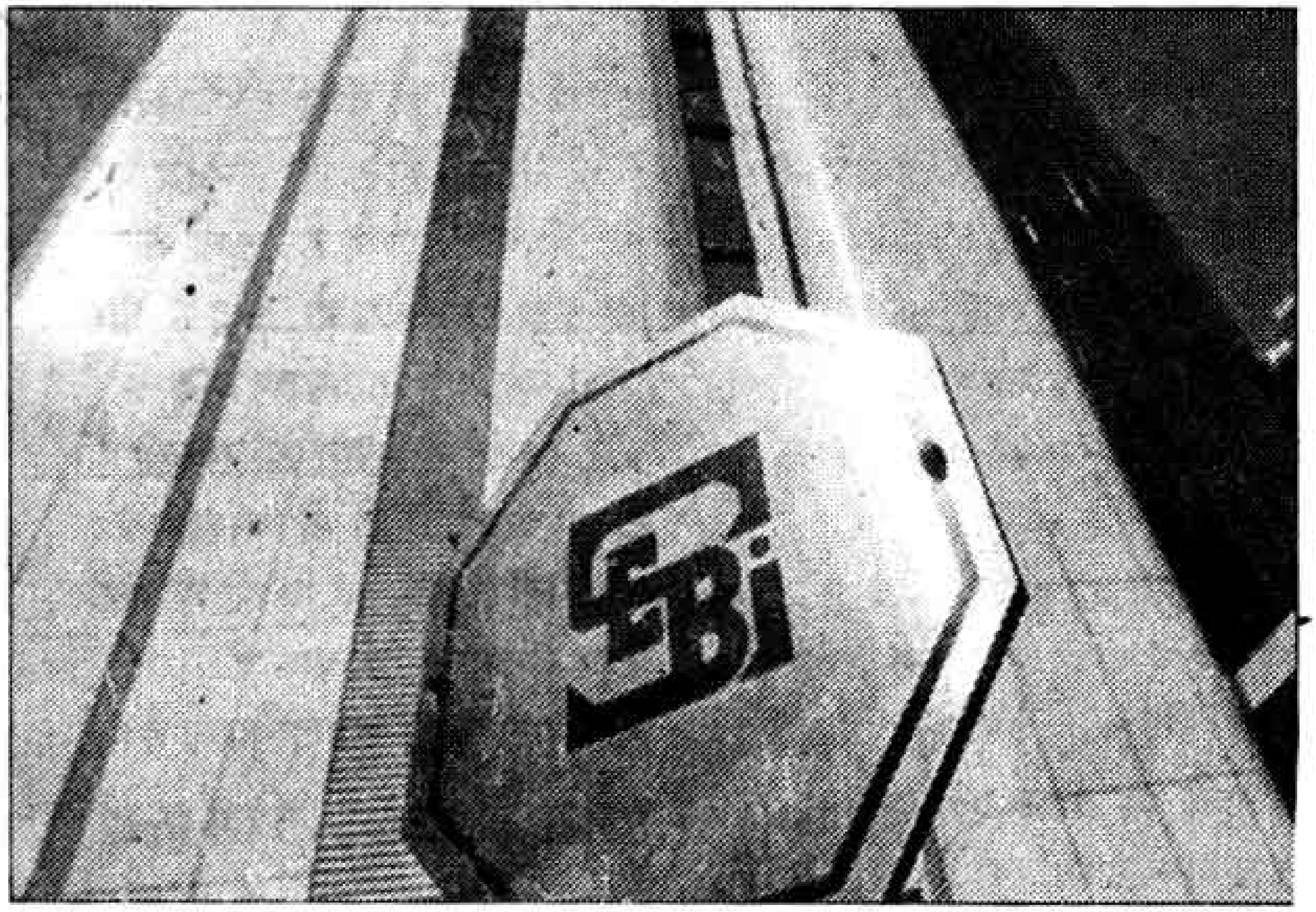

जुर्माना

- **शेयरों की दोबारा खरीद से संबंधित नियमों के उल्लंघन के आरोप में अपोलो टायर्स पर लगाया गया जुर्माना**

नई दिल्ली , एजेंसी।

बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को शेयरों की दोबारा खरीद से संबंधित नियमों के उल्लंघन के आरोप में अपोलो टायर्स पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने जनवरी 2017 में सेबी की ओर से अपोलो टायर्स पर लगाए गए एक करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को खारिज कर दिया था और नियामक को नए सिरे से आदेश देने को कहा था। न्यायाधिकरण के मुताबिक, कुल जुर्माना राशि सेबी कानून के तहत निर्धारित रकम से ज्यादा थी।

अपोलो टायर्स पर उसके और प्रमोटर्स की ओर से कंपनी के शेयरों की दोबारा खरीद में कंपनी कानून तथा सेबी नियमन की संबंधित धाराओं के उल्लंघन का आरोप है। कंपनी ने यह उल्लंघन 2003 में किया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को अपने ताजा आदेश में कहा कि अपोलो ने योजना के तहत शेयर की दोबारा खरीद की लेकिन पुनर्खरीद नियम का पालन नहीं किया।

सेबी के अनुसार, अपोलो टायर्स ने दोबारा खरीद नियम के तहत किसी भी शेयर की पुनर्खरीद नहीं की। सेबी के महाप्रबंधक और अभियोजन अधिकारी के सरवनन ने अपने 102 पन्ने के आदेश में कहा कि मुझे लगता है कि शेयरों की खरीद के समय बायबैक नियम 4 (1) का पालन नहीं किया गया। जिसे लेकर नियामक ने अपोलो टायर्स पर 65 लाख के जुर्माने का नोटिस भेजा है